राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाऐं
2, जलपथ, गांधीनगर, जयपुर।

क्रमांक एफ.11(2)मो./WMIS/ICDS/2013/ 91856-92160 जयपुर, दिनांकः 12/7/16

बाल विकास परियोजना अधिकारी
समेकित बाल विकास सेवाएँ
समस्त ....

विषयः–आंगनबाडी संबंधी गतिविधियों की मोनेटरिंग हेतु वैब आधारित MIS, ICDS-RRS (Rapid Reporting System) संशोधित MIS को लागू करने के संबंध में निर्देशों की निरन्तरता में ।

सन्दर्भः–निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ.11( )मो./WMIS/2013/51139-475 दिनांक 26.04.2016

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित आदेश की निरन्तरता में आंगनबाडी संबंधी गतिविधियों की मोनेटरिंग हेतु वैब आधारित MIS, ICDS-RRS (Rapid Reporting System) में प्रति माह की MPR ऑनलाईन फीड एवं हर तीसरे माह 3 फोटो अपलोड की जानी है। ऑनलाईन MPR महिला पर्यवेक्षकों द्वारा अटल सेवा केन्द्र, BDO कार्यालय/सीडीपीओ कार्यालयों में कार्यरत ऑपरेटरों के सहयोग से कराई जा सकती है अथवा अन्य ऐजेन्सी के माध्यम से जोब बेसिस आधार पर (स्वीकृत बजट सीमा तक) भुगतान कर फीड करवायी जा सकती है।

ऑनलाईन मासिक MPR की नियमित फीडिंग करवाने के लिये होने वाले व्यय का पुनर्भरण बाल विकास परियोजना कार्यालय द्वारा महिला पर्यवेक्षक द्वारा प्रस्तुत किये गये बिलों का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

मासिक MPR की ऑनलाईन फीडिंग (प्रत्येक तीसरे माह मय फोटो अपलोड) किये जाने हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राशि रू 10/– प्रति माह प्रति आंगनबाडी केन्द्र के अनुसार अधिकतम राशि रू 120/– प्रति वर्ष निर्धारित की गई है। MPR फीडिंग के बिल महिला पर्यवेक्षक के स्तर से प्रस्तुत किये जाने उपरान्त बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा उक्त ऑनलाईन MPR फीडिंग के डाटा का परीक्षण कर सन्तुष्ट होने पर बिलों को सत्यापित (Verify) किये जाने के पश्चात ही भुगतान किया जावे। भुगतान किये जाने हेतु संबंधित परियोजना कार्यालयों को राशि का आवंटन M&E (प्रबोधन एवं मूल्यांकन) मद से किया जा रहा है।

(डॉ. समित शर्मा)
निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।

.... 2

2, Jal Path, Gandhi Nagar, Jaipur. Ph. No. 0141-2713622, Fax No.: 0141-2700281, Website: wcd.rajasthan.gov.in

क्रमांक एफ.11(2)मो./WMIS/ICDS/2013/92161-92477 जयपुर, दिनांकः 12/7/16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. वित्तीय सलाहकार, समेकित बाल विकास सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक (मो), समेकित बाल विकास सेवाएँ, निदेशालय, जयपुर को भेज कर लेख है कि उक्त व्यय हेतु M & E में से संबंधित परियोजना कार्यालयों को राशि का आवंटन हेतु प्रस्ताव लेखा प्रशाखा को प्रेषित करावें।
3. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
4. समस्त उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग।
5. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति।

अतिरिक्त निदेशक (I)
समेकित बाल विकास सेवाएँ